माननीय न्यायाधीश वीके झांजी के समक्ष,

भारत संघ, - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

हरबंस सिंह तुली एंड संस और अन्य, *उत्तरदाता।*

***सी.आर.* 1993 का 1298 (ओ एंड एम)**

10 जनवरी, 1995।

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 - धारा 5 और 28 - सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908 - धारा 20 (सी) और 31 - प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र - कार्रवाई के कारण का उपार्जन - चंडीगढ़ में दायर किए गए निर्णय के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन - लखनऊ में निविदा स्वीकार की गई - पिथौरागढ़ में निष्पादित कार्य - लखनऊ में पारित अनुबंध को रद्द करने का आदेश - चंडीगढ़ में कोई मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित नहीं की जाएगी - चंडीगढ़ में कुछ चेक को स्वीकार करने से तथ्यों को जन्म नहीं मिलेगा। कार्रवाई* का कारण - चंडीगढ़ में सूचित अनुबंध को रद्द करने का आदेश समय के विस्तार के लिए चंडीगढ़ न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा - मामला धारा *20 (सी), सीपीसी के तहत नहीं आता है* - चंडीगढ़ न्यायालय का आदेश क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण रद्द किया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में भले ही आवेदन में किए गए कथनों को सही माना जाए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का एक हिस्सा चंडीगढ़ अदालत के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। तथ्य यह है कि निविदाओं की औपचारिक स्वीकृति चंडीगढ़ में प्रतिवादी को सूचित की गई थी या कुछ चेक चंडीगढ़ में प्रतिवादी को भेजे गए थे या चंडीगढ़ में रद्द करने के बारे में नोटिस प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था। चंडीगढ़ में किसी न्यायालय को तब तक क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि जिस कार्रवाई के आधार पर राहत का दावा किया जा रहा है, वह न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुई है। आवेदन में मांगी गई राहत पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने के लिए है। यह

विवाद में नहीं है कि पिथौरागढ़ में निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए लखनऊ में निविदा स्वीकार की गई थी। कार्य का एक हिस्सा पिथौरागढ़ में निष्पादित किया गया था, अनुबंध रद्द करने का आदेश लखनऊ में पारित किया गया था; मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश चंडीगढ़ में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था; मध्यस्थ ने चंडीगढ़ में कोई कार्यवाही नहीं की; मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के समक्ष दायर किया गया था और विद्वान जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण में लंबित है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि चंडीगढ़ में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी या चंडीगढ़ में कुछ चेक प्राप्त हुए थे, कार्रवाई के कारण का एक अभिन्न अंग बनने वाले तथ्यों का गठन नहीं होगा। इसलिए चंडीगढ़ में प्रतिवादी को दिए गए रद्दीकरण के आदेश से प्रतिवादी को चंडीगढ़ में समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने का कोई कारण नहीं मिलेगा।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की *ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय मित्तल के साथ सर्वश्री रमन वालिया और अरविंद बंसल, अधिवक्ता।*

सलिल सागर, वकील, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

न्यायाधीश वी. के. झांजी (मौखिक)।

1. वर्तमान सिविल पुनरीक्षण उप-न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 11 फरवरी, 1993 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित किया जाता है। प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ जहां मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 28 के तहत प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और मध्यस्थ को फिर से संदर्भ में प्रवेश करने की तारीख से निर्णय लेने और घोषित करने के लिए चार महीने का समय दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में विवाहित आवास के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की। निविदा के नोटिस के उत्तर में, मैसर्स हरबंस सिंह तुली एंड संस, चंडीगढ़ (प्रतिवादी ने यहां अपनी निविदा प्रस्तुत की और निविदा 11 फरवरी, 1977 को लखनऊ में स्वीकार की गई। निविदा की स्वीकृति के बारे में चंडीगढ़ में प्रतिवादी को सूचित कर दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा काम शुरू करने के बाद, पार्टियों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और जैसा कि जेनेरा की शर्त संख्या 70) अनुबंध की शर्तों के तहत प्रदान किया गया है, प्रतिवादी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सेना मुख्यालय में आवेदन किया। एक ब्रिगेडियर एसपी सहगल को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, लेकिन इससे पहले कि वह संदर्भ में प्रवेश कर पाते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद, बीआर गोविंद को मध्यस्थ नियुक्त किया गया, जिन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 22 सितंबर 1980 को श्री वीके गुप्ता, मुख्य अभियंता को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। उन्होंने संदर्भ में प्रवेश किया और पहले पिथौरागढ़ में कुछ कार्यवाही की और उसके बाद, दिल्ली में कुछ बैठकें कीं। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के संज्ञान में यह आया कि श्री वीके गुप्ता ने अनुशासनात्मक मामले में एक वकील के रूप में काम किया था, जो सतर्कता समिति के समक्ष एक श्री भल्ला के खिलाफ लंबित था, जो कार्य के प्रभारी इंजीनियर थे, प्रतिवादी को एक अन्य अनुबंध में अधिक भुगतान करने के लिए। न्याय न होने की आशंका को देखते हुए याचिकाकर्ता ने श्री गुप्ता को हटाने और नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पिथौरागढ़ के जिला न्यायाधीश की अदालत में एक आवेदन दायर किया। 17 अप्रैल, 1982 के आदेश के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था । विद्वान जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1982 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 402 दायर किए। 11 अक्टूबर, 1982 को, इलाहाबाद

उच्च न्यायालय ने सिविल संशोधन को स्वीकार कर लिया और उसी तारीख के अंतरिम आदेश के तहत, विद्वान जिला न्यायाधीश के फैसले के संचालन पर रोक लगा दी गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण लंबित है और आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

3. प्रतिवादी, 2 ने 23 अप्रैल, 1992 को अधिनियम की धारा 28 के तहत चंडीगढ़ के उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी की अदालत में एक आवेदन दायर किया ताकि निर्णय देने के लिए समय बढ़ाया जा सके। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में कहा कि श्री वीके गुप्ता, मुख्य अभियंता ने 25 अक्टूबर, 1980 को संदर्भ में प्रवेश किया और चार सुनवाई की और बाद में दिल्ली में सुनवाई आयोजित करने के लिए सहमत हुए और मध्यस्थ की इस कार्रवाई ने याचिकाकर्ता को नाराज कर दिया। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 5 के तहत मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। उस आवेदन को जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा खारिज कर दिया गया था और उस आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल पुनरीक्षण में लागू किया गया है। प्रतिवादी ने आवेदन में यह भी कहा है कि उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सुनवाई के लिए 28 नवंबर, 1988 की तारीख तय करते हुए नोटिस मिला और तय की गई तारीख पर, प्रतिवादी ने रोक हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो 17 जनवरी, 1992 को सुनवाई के लिए आया जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति डीएस सिन्हा ने मौखिक रूप से कहा कि मध्यस्थ के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं थी। विषय। तदनुसार, आवेदन में, पुरस्कार बनाने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता यूनियन ऑफ इंडिया ने आवेदन का विरोध किया और अपने जवाब में न केवल चंडीगढ़ कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में

आपत्ति जताई, बल्कि यह भी प्रस्तुत किया कि श्री वीके गुप्ता, जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, ने 25 अक्टूबर, 1980 को संदर्भ में प्रवेश किया, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति यानी 30 जून 1982 तक मध्यस्थता कार्यवाही पूरी नहीं की। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 70 के अनुसार, यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या अपना कार्यालय खाली कर देता है या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो उसे नियुक्त करने वाला प्राधिकरण उसके स्थान पर कार्य करने के लिए एक नया मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। श्री वी के गुप्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति पर अपना पद खाली कर दिया है और वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश के *तहत* कहा कि चंडीगढ़ की अदालत के पास समय बढ़ाने के लिए प्रतिवादी के अनुरोध पर विचार करने का अधिकार है और तदनुसार आवेदन को स्वीकार कर लिया और मध्यस्थ को निर्णय लेने और घोषित करने के लिए चार महीने का समय दिया। इस आदेश को अब भारत संघ द्वारा इस सिविल संशोधन में लागू किया जा रहा है।

4. याचिकाकर्ता के वकील श्री विनय मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पार्टियों के बीच अनुबंध लखनऊ में स्वीकार किया गया था, काम का एक हिस्सा पिथौरागढ़ में निष्पादित किया गया था और उत्तर प्रदेश राज्य के पिथौरागढ़ में उल्लंघन किया गया था। उनके अनुसार, अनुबंध का कोई भी हिस्सा चंडीगढ़ में करने की आवश्यकता नहीं थी और इसलिए, चंडीगढ़ की अदालत के पास समय बढ़ाने के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

5. प्रतिवादी के वकील श्री सलिल सागर ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के खंड (सी) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि मुकदमा वहां दायर किया जा सकता है जहां कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या

आंशिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। उनके अनुसार, निविदा की स्वीकृति के बारे में चंडीगढ़ में सूचित किया गया था, कुछ चेक चंडीगढ़ में प्राप्त हुए थे और अनुबंध रद्द करने का नोटिस भी चंडीगढ़ में प्राप्त हुआ था और इस प्रकार कार्रवाई का एक हिस्सा चंडीगढ़ में उत्पन्न हुआ था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित पर भरोसा किया:-

(i) ए.आई.आर. 1989 (एस.सी.) 1239;

(ii) 1989 (1) पीएलआर 264.

6. इस सिविल पुनरीक्षण में निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या चंडीगढ़ के न्यायालय के पास समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इस स्तर पर, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2(ग) में मध्यस्थता अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यायालय को एक सिविल न्यायालय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास संदर्भ की विषय-वस्तु के संबंध में वाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। अधिनियम की धारा 31 अधिनियम के तहत आवेदन के लिए अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत शामिल चार बिंदु हैं: –

(I) अधिनिर्णय किसी ऐसे न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसके पास संदर्भ की विषय-वस्तु के संबंध में वाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र हो। ;

(II) पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच किसी पुरस्कार की वैधता, प्रभाव या अस्तित्व या मध्यस्थता समझौते से संबंधित सभी प्रश्नों का निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाना है जिसमें निर्णय दायर किया गया है या (यदि यह पहले से ही भाग नहीं गया है) न्यायालय द्वारा जिसमें इसे उपधारा (1) और (4) के तहत दायर किया जा सकता है। ;

(III) मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी आवेदन भी उसी न्यायालय में दायर किए जाने हैं (जैसा कि ऊपर मामले (बी) में है);

(IV) एक बार जब एक अदालत में एक आवेदन दायर किया जाता है (अकेले अदालत के पास उसी मध्यस्थता के संबंध में बाद के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार होगा).

7. अधिनियम की धारा 41 में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों और अधिनियम के तहत सभी अपीलों पर लागू होंगे। संहिता को पूरी तरह से अधिनियम के तहत कार्यवाही पर लागू किया गया है। संहिता की धारा 15 से 20 वाद की संस्था के लिए मंच को विनियमित करती है। सी.पी.सी. की धारा 20 *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि सी.पी.सी. की धारा 15 से 19 के अधीन निर्धारित सीमाओं के अधीन रहते हुए, मुकदमा उस न्यायालय में स्थापित किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर:-

(a) प्रतिवादी, या प्रत्येक प्रतिवादी जहां मुकदमा शुरू होने के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वेच्छा से रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करते हैं; नहीं तो

(b) कोई भी प्रतिवादी, जहां मुकदमा शुरू होने के समय एक से अधिक हैं, वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, या व्यवसाय करता है, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, बशर्ते कि ऐसे मामले में या तो अदालत की छुट्टी दी जाती है, या प्रतिवादी जो निवास नहीं करते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, जैसा कि पूर्वोक्त है, ऐसी संस्था में मौन है; नहीं तो

(c) कार्रवाई का कारण, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उत्पन्न होता है।.

प्रतिवादी के वकील के अनुसार, उनका मामला _नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के खंड (सी) में आता है।

8. क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की कमी की आपत्ति का निर्धारण करते समय, न्यायालय को क्रॉस, या तथ्यों के अन्यथा सवालों के बिना कार्रवाई की आसानी के समर्थन में दिए गए सभी तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। आवेदन के पैराग्राफ 7 में जो रखा गया है वह यह है कि "निविदा की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था - चंडीगढ़ में अनुबंध की धारा 66 के तहत आवेदक को चंडीगढ़ में चेक प्राप्त हुए थे, जो रद्द कीरण को दर्ज नहीं करने के लिए प्रतिवादी द्वारा दिए गए थे।

9. आवेदक को उनके चंडीगढ़ कार्यालय में नोटिस भी दिया गया था। इसलिए, इस माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा, आवेदक ठेकेदार ने पहले 9 सितंबर, 1977 को चंडीगढ़ कोर्ट के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 के तहत एक आवेदन दायर किया था और इस तरह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों को देखते हुए, केवल चंडीगढ़ की अदालत के

पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र है।

10. वर्तमान मामले में, भले ही आवेदन में किए गए कथनों को सही माना जाए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई का एक हिस्सा चंडीगढ़ अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ था। तथ्य यह है कि निविदाओं की औपचारिक स्वीकृति की सूचना चंडीगढ़ में प्रतिवादी को दी गई थी या कुछ चेक चंडीगढ़ में प्रतिवादियों को भेजे गए थे या प्रतिवादी द्वारा चंडीगढ़ में रद्द करने के संबंध में नोटिस प्राप्त किया गया था, चंडीगढ़ में एक अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि जिस कार्रवाई के आधार पर राहत का दावा किया जा रहा है, वह न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। आवेदन में मांगी गई राहत पुरस्कार देने के लिए समय बढ़ाने के लिए है। यह विवाद में नहीं है कि पिथौरागढ़ में निष्पादित किए जाने वाले कार्य के लिए लखनऊ में निविदा स्वीकार की गई थी। कार्य का एक भाग पिथौरागढ़ में निष्पादित किया गया था; संविदा रद्द करने का आदेश लखनऊ में पारित किया गया था; चंडीगढ़ में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश पारित नहीं किया गया था; मध्यस्थ ने चंडीगढ़ में कोई कार्यवाही नहीं की; मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के समक्ष दायर किया गया था और विद्वान जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण में लंबित है। इस प्रकार, केवल इसलिए कि चंडीगढ़ में औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी या चंडीगढ़ में कुछ चेक प्राप्त हुए थे, कार्रवाई के कारण का एक

Shrikant
solution
whereas
plaintiff
business,
he used
business

अभिन्न अंग बनने वाले तथ्यों का गठन नहीं होगा। इसलिए चंडीगढ़ में प्रतिवादी को दिए गए रद्दीकरण के आदेश से प्रतिवादी को चंडीगढ़ में समय बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने का कोई कारण नहीं मिलेगा। राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स स्वाका प्रॉपर एसोसिएट्स और अन्य मामले में [1] इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर ने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह सूचित किया गया कि राज्य सरकार एक योजना के कार्यान्वयन और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखती है। प्रतिवादी को कलकत्ता में नोटिस दिया गया था। प्रतिवादी ने भूमि को छूट दिलाने का प्रयास किया, लेकिन भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कराने में विफल रहने के बाद, इन तथ्यों के आधार पर कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि कार्रवाई का कारण न तो पूरी तरह से और न ही आंशिक रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ। सुबोध *कुमार गुप्ता* बनाम *श्रीकांत गुप्ता और अन्य*[2], वादी, फर्म के विघटन के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसका प्रधान कार्यालय बॉम्बे में स्थित था, इसका कारखाना मंदसौर में स्थित था, जहां उनके पिता और उनके भाई रहते थे और साझेदारी में भाग लेते थे, वादी का मामला यह था कि चंडीगढ़ स्थानांतरित होने के बाद, मंदसौर में किए गए खातों के विवरण को मंगाने और प्राप्त करने के लिए और उन्होंने फर्म के लिए बुकिंग भी की और ऑर्डर प्राप्त किए। जिसे उन्होंने निष्पादन

[1] ए.आई.आर. 1985 एस.सी. 1289.

[2] 1993 (2) पीएलआर 728 (एस.सी.)

के लिए मंदसौर भेज दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फर्म का शाखा कार्यालय चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में फर्म का शाखा कार्यालय होने के केवल साहसिक आरोप पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तब तक अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि कार्रवाई का एक हिस्सा उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है। चूंकि कोई भी प्रतिवादी चंडीगढ़ में नहीं रह रहा था या चंडीगढ़ में कोई व्यवसाय नहीं करता था, इसलिए यह माना गया कि चंडीगढ़ अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। *तेल और प्राकृतिक गैस आयोग* बनाम *उत्पल कुमार बसु और अन्य*[3], इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए, जिसका हजीरा में एक गैस प्रसंस्करण संयंत्र है, ने पश्चिम बंगाल सहित देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें केरोसिन रिकवरी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसका पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निविदाओं की जांच किए जाने के notice_ अन्य लोगों के साथ एनआईसीसीओ ने निविदा के जवाब में अपनी पेशकश प्रस्तुत की। एनएलसीसीओ की बोली निविदा पर खारिज कर दी गई थी। एनआईसीसीओ पुन: अपेक्षित अनुभव मानदंड प्रस्तुत किया गया। निविदा समिति ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के दृष्टिकोण की पुन जांच की और उसी से सहमत हुई। एनआईसीसीओ ने फिर से प्रतिनिधित्व किया और उनके प्रतिनिधित्व पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ-

[3] (1994) 4 एससी मामले 711।

साथ निविदा समिति द्वारा विचार किया गया लेकिन उन्होंने अपने पहले के दृष्टिकोण से हटने का कोई कारण नहीं देखा। अंतिम निर्णय नई दिल्ली में संचालन समिति द्वारा लिया गया था, जिसके अनुसरण में मैसर्स सिमको लिमिटेड को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 के आदेश के तहत निम्नलिखित निदेश दिए हैं -

"प्रतिवादियों को अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ता की पेशकश पर विचार करने का निर्देश देने वाला एक आदेश होगा और यदि याचिकाकर्ता की पेशकश अन्यथा वैध और सबसे कम पाई जाती है और यदि याचिकाकर्ता अन्यथा औपचारिकताओं का पालन करता है, तो याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

11. उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि एनआईसीसीओ ने कलकत्ता में विज्ञापन पढ़ा और कलकत्ता से प्रस्ताव भेजा और कलकत्ता से प्रस्ताव दिया, यह तथ्य कलकत्ता में कार्रवाई के कारण का अभिन्न अंग नहीं होगा। तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई और अधिकार क्षेत्र के अभाव में रिट याचिका को खारिज करने का आदेश दिया गया।

12. प्रतिवादी के वकील ने ए.बी.सी. लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड *में फैसले पर मजबूत भरोसा किया*। बहुत। *ए.पी. एजेंसीज, सलेम*[4] ने दलील दी कि अनुबंध की स्वीकृति के बाद से कार्रवाई का एक हिस्सा चंडीगढ़ में प्राप्त हुआ था। ए.बी.सी. के तथ्य *लैमिनार्ट के मामले* (सुप्रा) से पता चलता है कि पार्टियों के बीच किए गए समझौते के खंड 11 में

[4] ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1239.

निम्नानुसार प्रावधान किया गया है: -

"इस बिक्री से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कैरा अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।."

13. अनुबंध से उत्पन्न विवाद के कारण, प्रतिवादी ने राशि की वसूली के लिए सलेम में अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में अपीलकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया। प्रारंभिक आपत्तियों में से एक यह थी कि सलेम की अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि पक्षकार, एक्सप्रेस अनुबंध द्वारा, कैरा में सिविल कोर्ट पर अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे। इस प्रकार प्रश्न उठा कि क्या खंड 11 को सलेम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाना चाहिए। न्यायालय ने पाया कि खंड में 'अनन्य', 'अकेले', 'केवल' और इसी तरह के शब्द नहीं थे और अन्य खंड भी अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का संकेत नहीं थे। इन परिस्थितियों में, यह माना गया था कि सलेम में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, जिसे कानून के तहत अदालत के पास अन्यथा अधिकार क्षेत्र था, को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया था। इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

"अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के लिए एक मुकदमे में कार्रवाई का कारण अनुबंध बनाना, और इसका उल्लंघन शामिल है, ताकि मुकदमा या तो उस स्थान पर दायर किया जा सके जहां अनुबंध किया गया था या उस स्थान पर जहां इसे किया जाना चाहिए था और उल्लंघन।

अनुबंध का निर्माण कार्रवाई के कारण का हिस्सा है। इसलिए, एक अनुबंध पर मुकदमा उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां इसे बनाया

गया था। उस स्थान का निर्धारण जहां अनुबंध किया गया था, अनुबंध के कानून का हिस्सा है। लेकिन किसी विशेष स्थान पर प्रस्ताव देना अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान के मुकदमे में कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। आम तौर पर, किसी प्रस्ताव की स्वीकृति और इसकी सूचना के परिणामस्वरूप विवाद होता है और इसलिए एक मुकदमा उस अदालत में दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में स्वीकृति की सूचना दी गई थी। *एक अनुबंध का प्रदर्शन कार्रवाई के कारण का हिस्सा है और उल्लंघन के संबंध में मुकदमा हमेशा उस स्थान पर दायर किया जा सकता है जहां अनुबंध किया जाना चाहिए था या इसका प्रदर्शन पूरा होना चाहिए था। यदि अनुबंध उस स्थान पर किया जाना है जहां इसे बनाया गया है, तो अनुबंध पर मुकदमा वहां दायर किया जाना चाहिए और कहीं नहीं।* (जोर दिया गया)।

14. वकील का यह तर्क सही नहीं है कि सभी मामलों में मुकदमा उस अदालत में दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में स्वीकृति की सूचना दी गई थी। संविदा अधिनियम की धारा 4, जो इस विषय से संबंधित है, में यह प्रावधान है कि स्वीकृति का संचार तब पूरा होता है जब इसे प्रस्तावक के विरुद्ध पारेषण के दौरान रखा जाता है। यह धारा संविदा अधिनियम के उदाहरण (ख) से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है:

"उदाहरण (बी)

B डाक द्वारा भेजे गए एक पत्र द्वारा A के प्रस्ताव को स्वीकार करता है,

स्वीकृति का संचार पूरा हो गया है, जैसा कि पत्र पोस्ट किए जाने पर ए के खिलाफ; जब पत्र A को प्राप्त होता है तो B के विपरीत।

इस प्रकार, जब अनुबंध के उल्लंघन की शिकायत की जाती है, तो अनुबंध के उल्लंघन के लिए कार्रवाई वादी के विकल्प पर या तो उस स्थान पर

की जा सकती है जहां अनुबंध किया गया है या एक स्थान जहां उल्लंघन किया गया था। अनुबंध कहां किया गया है, इस प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। एक अनुबंध तब किया जाता है जब एक पार्टी का प्रस्ताव दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावक को स्वीकृति का पत्र पूर्णता का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह वाद में कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा है और भले ही स्वीकृति प्रस्तावक तक नहीं पहुंचती है या पारगमन में खो जाती है या गलत हो जाती है, अनुबंध पूरा हो जाएगा। यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता *है।* वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निविदा लखनऊ में प्रस्तुत की गई थी और इसे लखनऊ में स्वीकार किया गया था। यह केवल स्वीकृति थी जो औपचारिक रूप से चंडीगढ़ में उत्तरदाता को बताई गई है, जिसका चंडीगढ़ में एक कार्यालय है। इसलिए, केवल स्वीकृति देने से कार्रवाई का अभिन्न अंग नहीं बनेगा और चंडीगढ़ में एक न्यायालय में अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। *भारत संघ बनाम मैसर्स शिबूमल एंड संस*[5] मामले में कुछ टिप्पणियां प्रतिवादी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन उस मामले में न केवल चंडीगढ़ में प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना दी गई थी, बल्कि जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 7 से स्पष्ट है, मध्यस्थ द्वारा निर्णय देने के लिए समय के विस्तार के संबंध में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत कार्यवाही, चंडीगढ़ में भी शुरू किया गया था। चूंकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा *28 के तहत आवेदन चंडीगढ़ में दायर किया गया था, इसलिए अकेले चंडीगढ़ की अदालत के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किए गए बाद के आवेदन पर विचार करने का अधिकार था।*

15. प्रतिवादी के वकील ने तब तर्क दिया कि इस मामले में भी, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 के तहत आवेदन चंडीगढ़ अदालत के समक्ष

[5] 1989 (1) पीएलआर 264।

दायर किया गया था और इस तरह अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के मद्देनजर और कुंभ मावजी बनाम *कुम्भा मावजी* मामले *में फैसले को ध्यान में रखते हुए भी दायर किया गया था।भारत का डोमिनियन*।[6] और *मेसर्स गुरु नानक फाउंडेशन* बनाम *मैसर्स रतन सिंह एंड संस* का[7] अगला आवेदन केवल चंडीगढ़ में ही सुनवाई योग्य था और कहीं नहीं। इसके अलावा, प्रतिवादी के वकील श्री सलिल सागर के अनुसार, पिथौरागढ़ की अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा बताए गए प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि एक बार मध्यस्थता अधिनियम की किसी भी धारा के तहत अदालत में एक आवेदन दायर किया गया है, तो उस अदालत को अकेले उस संबंध में बाद के आवेदन पर विचार करना होगा। यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (4) के तहत प्रदान किया गया है। हालांकि, अपवाद यह है कि पहला आवेदन उस मामले में अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए जिससे संदर्भ संबंधित है। इस मामले में, प्रतिवादी मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 के तहत आवेदन को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है, जिसे वर्ष 1977 में कहीं दायर किया गया था और आदेश, यदि कोई हो, उस पर पारित किया गया था। वकील ने बहस के दौरान स्वीकार किया कि आवेदन को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, स्वीकृति से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए चंडीगढ़ में अदालत के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं था। अधिनियम की धारा 41 के तहत आवेदन दाखिल करने का कोई परिणाम नहीं है। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि

[6] ए.आई.आर. 1953, एस.सी. 313.

[7] 1981 ए.आई.आर.एस.सी. 2075.

ठेकों की सामान्य शर्तों के खंड 66 में उस स्टेशन में स्थित कोषागार में जहां या तो कार्य निष्पादित किया जाता है या सेवा प्रदान की जाती है या उस स्टेशन के निकटतम कोषागार में जहां गैरीसन इंजीनियर्स का कार्यालय स्थित है, ठेकेदार को क्रॉस चेक के माध्यम से अनुबंध के तहत देय सभी भुगतान करने का प्रावधान है। चंडीगढ़ में प्रतिवादी को कुछ चेक भेजने का याचिकाकर्ता का कार्य, चंडीगढ़ में एक अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा, जब यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि चंडीगढ़ में उसे भेजे गए चेक उस स्टेशन के निकटतम कोषागार के थे जहां गैरीसन इंजीनियर्स का कार्यालय स्थित है क्योंकि काम पिथौरागढ़ और सेवाओं में निष्पादित किया गया था। यदि कोई हो तो उसे अकेले उस स्थान पर प्रस्तुत किया गया था।

16. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पंचाट अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्णय देने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन इस कारण से सुनवाई योग्य नहीं है कि श्री वी के गुप्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति पर अपना कार्यालय खाली कर दिया है और अनुबंध की सामान्य शर्तों की शर्त संख्या 70 को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है। एलए SSV.be निर्णय भी/मेसर्स प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड शेलरूफ (प्राइवेट) लिमिटेड के *मामले में 1986 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 13278 में 1991 की संख्या 1*। बहुत। *भारत संघ,* जिसमें यह दलील कि सेवानिवृत्ति के बाद, मध्यस्थ इस तरह से नहीं रहता है और मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने का हकदार है, को स्वीकार नहीं किया गया था और इसे पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार आयोजित किया गया था: –

"हम प्रतिवादियों से सहमत नहीं हैं। मध्यस्थता खंड के चौथे उप-पैरा में अनुबंध 5 के खंड संख्या 70 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि मध्यस्थ ने इस्तीफा दे दिया या अपना कार्यालय खाली कर दिया या किसी भी कारण से कार्रवाई करने में अनिच्छुक या असमर्थ था, उसके

स्थान पर एक और मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, ब्रिगेडियर गुर दयाल ने अपना कार्यालय खाली कर दिया था, मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए सक्षम नहीं थे। तदनुसार, हम भारत संघ की ओर से किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इंजीनियर-इन-चीफ, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को ब्रिगेडियर को नियुक्त करने की अनुमति देते हैं जो वर्तमान पदधारी हैं। आवेदन स्वीकार किया जाता है।

17. मेरे लिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि मध्यस्थ के अधिकार को रद्द करने के संबंध में मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है, जो विद्वान जिला न्यायाधीश, पिथौरागढ़ के आदेश के खिलाफ वरीयता प्राप्त सिविल पुनरीक्षण में है। याचिकाकर्ता, निश्चित रूप से, उस न्यायालय के समक्ष इस विवाद को उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस सिविल संशोधन की अनुमति दी जाती है, संशोधन के तहत आदेश को रद्द कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28 के तहत मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने और घोषणा करने के लिए समय में विस्तार की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। सिविल मिस। 1994 की धारा 3601-सीआईआई ने सिविल संशोधन को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया था। सिविल मिसेज में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1994 की धारा 12546-सीआईआई में मामले को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी, जिसे उस चरण में दायर किया गया था जब प्रतिवादी के वकील और प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते

हुए कि आवेदन को वापस लिया जा सकता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी